...अन्तर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व अधिनियम बाबत आवंटन

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| /3/2017 | पत्रावली पेश हुयी । प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। तरतीबी अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रूक रूक कर बार–बार आवाजें लगवाई जाने पर अप्रार्थी व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। नायब तहसीलदार, कोटपूतली की ओर से यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि लीला पुत्र सुगना जाति धानका के सम्बन्ध में मौके पर पहुंचकर जानकारी करने पर आम लोगों ने लीला पुत्र सुगना जाति चमार के ही गांव चेचीका नांगल में निवास करना बताया। साथ ही प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) द्वारा रिकॉर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । उभयपक्षों को सुना गया । पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादास्पद साबिक आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 01, लीला पुत्र सुगना धानका निवासी नांगल चेचीका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की गयी थी । परन्तु आवंटी द्वारा उसको अलाटमैन्ट की गयी भूमि को कभी काबिज होकर काश्त नहीं की । जबकि भू–आवंटन नियमों के अनुसरण में आवंटन की गयी भूमि को तीन वर्ष में काबिज काश्त की जाना आवश्यक है। आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटी के हक में गैर खातेदारी/खातेदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सका। यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया । तत्पश्चात् उक्त आराजीयात् के मौके पर खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण दिनांक 01/01/1993 को राजस्थान औद्योगिक विकास निगम (रीको) को आवंटित कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवादित आराजीयात तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी । आज भी उक्त आराजीयात पर आवंटी अप्रार्थी संख्या का कोई कब्जा काश्त नहीं है, बल्कि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का ही रिकॉर्ड में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट दिनांक 10/02/2017 से भी प्रमाणित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के हक है, में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त करवाया जावें ।<br>अप्रार्थी संख्या एक की ओर से पूर्व में प्रस्तुत अपने जवाब में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अभिकथन किया गया है कि आवंटी को आवंटन की गयी भूमि का कब्जा सम्भलवाने के पश्चात् वह लगातार काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने कोई आवंटन शर्तो की कोई अवहेलना नहीं की है। बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया ओर इसके बाद सन् 1980 में यह ग्राम तहसील बहरोड़ जिला अलवर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिकॉर्ड में अलाटी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हो पायी, बल्कि सिवायचक ही दर्ज रह गयी ओर अप्रार्थी की कृषि की कब्जे काश्त की कृषि भूमि को सिवायचक मानकर रीको को बेच दी गयी । अप्रार्थी को आराजी विवादास्पद के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं प्रार्थी का था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया । प्रार्थी (लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली) द्वारा गलत रूप से कार्यवाही की जाकर पूर्व का आवंटन निरस्त कराये बिना पुनः गलत रूप से आवंटन की कार्यवाही की है, जो निरस्त योग्य है। कानूनी रूप से भी अब 30 साल के अन्तराल के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता । अप्रार्थी को | |

को नोटिस एव सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना तरतीबी अप्रार्थी रिको को पुनः किया गया आवंटन आदेश अप्रार्थी(आवंटी) के हक हकूकों के प्रति शून्य एवं बेअसर है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें ।

विद्वान अधिवक्ता तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 ने भी अपनी बहस में अपने जवाब में वर्णित अभिकथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 को ओद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली में दिनांक 01 जनवरी 1993 को कुल रकबा 178.42 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित आराजी विवादास्पद ख.नं. 27/22.36 बंजड भी सम्मिलित है। तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 रीको को आवंटन की गयी उक्त समस्त भूमि की प्रीमियम राशि रूपये 12698932 /– का तहसीलदार कोटपूतली को दिनांक 16/8/1994 को भुगतान करने पर उनके द्वारा दिनांक 15/9/1994 को उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 रीको को सम्भलवा दिया गया । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 3374/2005 में पारित निर्णय दिनांक 05/5/2006 की पालना में कथित आवंटी/अतिकमियों के कुंऐ संरचनाएं इत्यादि के मुआवजे की राशि रू. 506674 /– का भूगतान भी चैक संख्या 321763 दिनांक 30/6/2006 को सम्बन्धित हितबद्व व्यक्तियों को किया जावें, के लिए उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में जमा करवा दिया गया है। अब अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त आराजीयात् से कोई तालुक वास्ता नहीं है। मौके पर तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 रीको को भौतिक रूप से कब्जा है, जो रिकॉर्ड व मौके की स्थिति से भी प्रमाणित है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के हक में किया गया भू–आवंटन आदेश तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 के हक हकूकों के प्रति शून्य एवं बेअसर होने निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा केशवाना गुर्जर अप्रार्थी संख्या 01 लीला पुत्र सुगना धानका निवासी नांगल चेचीका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को आवंटन होना नकल भू–आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 27/2/1976 से सिद्व होता है। परन्तु उक्त आवंटन आदेशों की शर्तों की पालना की जाने के सम्बन्ध में आवंटी/अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से कोई रिकॉर्ड साहदत प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा ना ही उक्त विवादित आराजीयात् पर अपने भौतिक रूप से कब्जे काश्त को साबित करवाया है। राजस्व अभिलेख में भी अलाटी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गैर खातेदारी/खातेदारी दर्ज नहीं है। नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 10/2/2017 से भी आराजी विवादास्पद प्रार्थी संख्या 1 के बजाय तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना तथा उन्ही का भौतिक रूप से कब्जा होना जाहिर होता है तथा उनकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या एक लीला पुत्र सुगना जाति धानका नाम के व्यक्ति के बजाये उक्त नाम का चमार जाति का सदस्य गांव में रहना बताया है, जिससे भी अपीलाधीन भू–आवंटन आदेश त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आक्षेपित भू आवटंन आदेश मात्र एक कागजी अलाटमैन्ट होने से स्वतः ही खारिज योग्य है। दूसरी ओर उक्त आराजी विवादास्पद मौके पर खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज होने की वजह से तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में अलाटमैन्ट किया गया है तथा नियमानुसार प्रीमियम की राशि जमा करवाने के बाद उन्हें भौतिक रूप से मौके पर कब्जा सम्भलाया गया है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज किया गया है, जो आज भी बदस्तूर मौजूद है। ऐसी परिस्थिती में अलाटी अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त आराजी विवाद ग्रस्त में कोई हक हकूक खातेदारी उत्पन्न नहीं होते है।

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र/अपील अन्तर्गत दफा 14(4) भू राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाकर ग्राम केशवाना गुर्जर में स्थित साबिक आ.ख.नं. 20 से बरामद हुये हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 22.36 हैक्टर में से अप्रार्थी संख्या 01 के हक में अलाटमैन्ट किये गये रकबे की सीमा तक के भू आवंटन सलाहकार समिति का भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/3/2017 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।